बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
::आदेश::

पटना, दिनांक 06/04/2026

संचिका संख्या–07/मु0–01–26/2026–1198/ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–1161/2026 भोला प्रसाद बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–29.01.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–29.01.2026 को न्यायादेश पारित की गई, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

".... 5. This Court has considered the submissions advanced by the learned Advocate for the respective parties and took note of the facts, especially letter no. 3253 dated 29.08.2025, whereby options were invited from all the newly recruited Head Masters who have not submitted their joining in their respective schools, and in pursuance thereof the petitioner has already submitted his grievance along with the option, which has yet not been considered and disposed off. This Court deems it fit and proper to dispose off the writ petition with a direction to the respondent no. 2, the Director, Primary, Education, Education Department, Government of Bihar, Patna, to consider the grievance of the petitioner and his option forposting in view of the submissions advanced hereinabove, especially keeping in mind the factum of physical disability of the petitioner's wife, who has also been working as a primary teacher in Exclusive Primary School, Jhakaur, Roh, District- Nawada and take appropriate decision, preferably within a period of four weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

6. This disposes the writ petition. ...."

3. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता ने अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उक्त अभ्यावेदन को निष्पादित करने हेतु वादी को सुनवाई का मौका देते हुए दिनांक–09.03.2026 तथा दिनांक–12.03.2026 को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया । जिसमें वादी उपस्थित होकर सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा। जिसे विस्तार पूर्वक सुना गया।

4. याचिाकाकर्त्ता का कथन है कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रा0 वि0 झखौर में पदस्थापित एवं कार्यरत है तथा उनकी पत्नी भी उसी विद्यालय में विशिष्ट शिक्षिका के रूप में कार्यरत है जो दिव्यांग हैं तथा किडनी एवं अन्य रोग से ग्रसित हैं। वादी का नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के द्वारा प्रधान शिक्षक के पद पर प्रा0 वि0 जलालपुर, प्रखण्ड–रोह, जिला– नवादा में किया गया था। परन्तु वादी ने पत्नी के असमर्थता के कारण प्रधान शिक्षक के पद योगदान नहीं कर सके।

विभागीय ज्ञापांक–07/विविध–30/2021'अंश'–3523 दिनांक–29.08.2025 के द्वारा निदेश दिया गया था कि ऐसे प्रधान शिक्षक, जिन्होंने विद्यालय में योगदान कर लिया है एवं वे पदस्थापन के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो वे ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर अपने लॉगिन आई०डी० के माध्यम से दिनांक 01.09.2025 से 10.09.2025 तक अपना Grievance दर्ज कर सकते हैं। जिसके आलाके में वादी ने दिनांक–08.09.2025 को ई–शिक्षा पोर्टल पर अपना Grievance दर्ज किया। परंतु उनके च्वाइस पोस्टिंग अर्थात प्राथमिक विद्यालय,झखौर, प्रखण्ड–रोह, जिला–नवादा में नहीं होने के कारण वाद दायर किया गया है।

5. अंकनीय है कि विभागीय ज्ञापांक–896 दिनांक–26.03.2025 द्वारा गठित समिति की दिनांक–01.07.2025 को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को विभागीय दिशा–निर्देश के अनुरूप ***Merit-cum-Choice*** के आधार पर सफल अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प एवं जिलावार उपलब्ध रिक्तियों के आलोक में सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुल 35334 अभ्यर्थियों को विभागयी ज्ञापांक–1837 दिनांक–01.07.2025 द्वारा जिला आवंटित किया गया। उक्त के आधार पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वरीयता क्रमांक–32431 तक के अभ्यर्थियों को नवादा जिला आवंटित हुआ। चूंकि वादी श्री भोला प्रसाद का वरीयता क्रमांक–17125 है, तदनुसार उन्हें नवादा जिला आवंटित हुआ।

6. तदोपरांत उक्त अभ्यर्थियों से आवंटित जिलान्तर्गत पदस्थापन हेतु तीन–तीन प्रखण्ड के विकल्प की मांग की गई एवं उक्त समिति की दिनांक–12.07.2025 को सम्पन्न बैठक में कुल 35333 सफल अभ्यर्थियों को विभागीय ज्ञापांक–1934 दिनांक–12.07.2025 से प्रखण्ड/विद्यालय आवंटित किया गया। उक्त के आधार पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वरीयता क्रमांक–22040 तक के अभ्यर्थियों को रोह प्रखण्ड आवंटित हुआ। चूंकि वादी श्री भोला प्रसाद का वरीयता क्रमांक–17125 है, तदनुसार उन्हें रोह प्रखण्ड अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, जलालपुर आवंटित हुआ। परन्तु वादी श्री प्रसाद ने उक्त आवंटित विद्यालय में योगदान नहीं किए।

7. विभागीय ज्ञापांक–4599 दिनांक–24.12.2025 द्वारा गठित समिति की बैठक में कुल 5218 अभ्यर्थियों को ***Merit-cum-Choice*** के आधार पर जिला का आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने पर विचार किया गया। उक्त के आधार पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वरीयता क्रमांक–47128 तक के अभ्यर्थियों को नवादा जिला आवंटित हुआ। चूंकि वादी श्री भोला प्रसाद का वरीयता क्रमांक–17125 है, तदनुसार उन्हें नवादा जिला आवंटित हुआ। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक–249 दिनांक–21.01.2026 द्वारा अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन हेतु पाँच– पाँच प्रखण्डों का विकल्प ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर लिया गया है।

8. संप्रति विभागीय पत्रांक–249 दिनांक–21.01.2026 के आलोक में अग्रेतर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, तद्नुसार माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में वादी के मामले पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जायेगा।

इस अभिमत के साथ उक्त वाद को निष्पादित किया जाता है।

(विक्रम विरकर) 06/04/26
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / 07 / मु0–01–26 / 2026 1198 पटना, दिनांक 06/04/2026

प्रतिलिपिः– Bhola Prasad son of Sukhdeo Chauhan, resident of Village- Jhakhaur, P.O.-Dirmobara, P.S.-Roh, District-Nawada, Bihar-805104 को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–26 / 2026 1198 पटना, दिनांक 06/04/2026

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।